"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 मई 2013—वैशाख 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/26/2013/वाक/पांच (33).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक की प्रभावशीलता से, छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 8-ए के उपनियम (क) के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(क) वह रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो धारा 8 की उपधारा (3) में वर्णित माल का, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल विक्रय करना चाहे, उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण तथा व्यापारावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 के उपनियम (2) के अंतर्गत निर्धारित, यथास्थिति फार्म ई-1 या ई-2 प्रमाण-पत्र, खरीदने वाले व्यापारी को देने के लिए, प्रारूप-चार-क में इलेक्ट्रानिक पद्धति से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग की विभागीय वेबसाईट के माध्यम से आवेदन करेगा, तथा उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी, ऐसे आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर इलेक्ट्रानिक पद्धति से नि:शुल्क प्रदाय करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक एफ-10/26/2013/वाक/पांच (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2013/वाक/पांच (33) दिनांक 04-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th May 2013

NOTIFICATION

No. F-10/26/2013/CT/V (33).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment with effect from the date of publication in official gazette, in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

(1) For the sub-rule (a) of Rule 8-A, the following sub-rule shall be substituted :—

"(a) A registered dealer who desires to sell goods of the description referred to in sub-section (3) of section 8 to another registered dealer, shall apply electronically through the departmental website of the Chhattisgarh Commercial Tax Department in form IV-A to the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer as may be authorized by the Commissioner, forms of certificates in form E-I or E-II as the case may be prescribed under sub-rule-(2) of rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 for furnishing it to the purchasing dealer and the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer as may be authorized by the Commissioner shall issue electronically such forms within 7 days from the receipt of application.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.